

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए भर्ती
नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 0 सं. ज्ञा.के का 13.10.2015
के अनुपालन में (आरआर)पनास्था-2008/61/14017.एबी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता
कृपलानी अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमोंके मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पण्धारक जियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/
भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे 30,
(Thenkholal baite)अनुभाग अधिकारी -एमएच)॥(, कमरा सं. ए405, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110108-को लिखित रूप में भेज सकते हैं या
t.baite12@nic.in पर ई मेल कर सकते हैं।-

डा. सामंत
(ग. प. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:01123061521

नई दिल्ली
दिनांक :

अधिसूचना

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमति सुचेता कृपलानी अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमति सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, फिजियोथेरेपिस्ट (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरहंता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन पद अथवा अव्ययन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फिजियोथेरेपिस्ट (2019)	1*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'खु', अराजपत्रित, अनुसन्चितीय *कार्यभार के आधार परिवर्तन किया जा सकता है।	वेतन स्तर 6 (35400- 112400 रुपए)	मैट्रिक्स में लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदर्शों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथित की जा सकती है)

टिप्पण :- आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयिक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर गाज़ियाँके लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षदीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं

परिवेश की अवधि, यदि कोई हो।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए चिह्न आयु और शैक्षिक अहताएं प्रत्यक्षित व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

(8)

(9)

अनिवार्यः

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में सातक डिग्री,
- (ii) कम से कम 100 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल से या किसी निजी अस्पताल से फिजियोथेरेपी में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

लागू नहीं होता

दो वर्ष

वांछनीय

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी शाखा में फिजियोथेरेपी में मास्टर डिग्री।

टिप्पण-1 अहताएं, अन्यथा मुअहित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण -2 अनुभव संबंधी अहताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रैन्टिंग द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।

(10)

प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)

प्रैन्टिंग या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रैन्टिंग या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्थायत या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त शोध संस्थानों के ऐसे अधिकारी -

- क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा
- (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 में ऐसे सेवक जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में छोड़ दिया है; अथवा
- (iii) जो संभव (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अहताएं तथा अनुभव रखते हों।

टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या निम्नांकित समिलित है, की अवधि, 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा और देन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोनंति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे -	

1. अपर चिकित्सा अधीक्षक
2. संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष
3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में
लैडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का कार्य
देखने वाले उप निदेशक
4. लैडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में
उप निदेशक प्रशासन

सदस्य

अध्यक्ष
सदस्य

लागू नहीं होता

(ए.12018/01/2019-एम एच !!)

(जी.पी. सामंत)

अकर सचिव, भारत सरकार